

केन्द्रीय मुहर विभाग-2

हमारा संदर्भ : के.मु.वि.-2/16: 251

06 08 2018

विषय: आई एस 251:1998 (सोडा पाउडर तकनीकी) के संशोधन संख्या 1 जून 2018 का अनुपालन

1. आई एस 251:1998 के संशोधन संख्या 1 को प्रकाशित किया गया है। राजपत्र अधिसूचना सं. 3408 (अ.) दिनांक 12 जुलाई 2018 के अनुसार इसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से करने का निर्णय लिया गया है।
2. इस संशोधन के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा एस टी आई में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है
1. सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है कि अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले सभी लाइसेन्सधारकों/आवेदकों को उपरोक्त संशोधन के कार्यान्वयन के बारे में सूचित करें।

(अदाने ख्रासी)
वैज्ञानिक सी (के.मु.वि-2)

प्रमुख (के.मु.वि.-2)

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों/प्रयोगशालाओं/सीएचडी/एलपिपीडी को परिचालित
आई टी एस विभाग - बीआईएस इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 251

06 08 2018

Subject: Implementation of Amendment No. 1 June 2018 to IS 251:1998 (Soda Ash Technical)

1. Amendment No. 1 to IS 251:1998 has been published as per Gazette Notification No. S.O. 3408 (E) dated 12 July 2018.
2. This amendment does not necessitate any change in the existing STI.
3. All BOs are requested to inform the Licensees/Applicants under their jurisdiction about implementation of the above amendment.

(Adane Khraasi)
Scientist-C (CMD-2)

Head (CMD-2)

Circulated to all ROs/BOs//Labs/CHD/LPPD

Copy to: ITS for hosting on BIS Intranet

AMENDMENT NO. 1 JUNE 2018

TO

IS 251 : 1998 SODA ASH TECHNICAL — SPECIFICATION

(Fourth Revision)

(Page 1, clause 2) — Substitute 'IS 264 : 2005 Nitric acid (third revision)' for 'IS 264 : 1976 Nitric acid (second revision)'.

(CHD 01)

Publication Unit, BIS, New Delhi, India